

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237149
SG-DL-E-07072022-237149

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356]	दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2022/आषाढ़ 15, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 180
No. 356]	DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2022/ASHADHA 15, 1944	[N. C. T. D. No. 180

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 6 जुलाई, 2022

फा. सं. 2/9/2015/आरआर/प्रशि. प्रशा./767.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 3532 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 4 मई, 1968 की अधिसूचना सं. फा. 2(1)/68—सेवाएं (सी) (पप) द्वारा अधिसूचित पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के भर्ती नियमों एवं दिनांक 2 मई 1980 की अधिसूचना सं. फा. 2(9)/80—एस II द्वारा अधिसूचित उत्तरवर्ती संशोधन के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किये जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत प्रशिक्षण विंग में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद की भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :— (प) इन नियमों को पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती नियम, 2022 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कहा जायेगा।
(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यता** :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इनसे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :— ऐसा कोई भी व्यक्ति
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;
शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद या गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
पुस्तकालयाध्यक्ष	12* (2022) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह "ख"	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 / -रूपये)	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय)। टीप: आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा यथाविज्ञापित होगी।

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी?	परीवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है
7	8	9	10	11
<p>अनिवार्य : अनिवार्य योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि ।</p> <p>अनुभव : केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त या सांविधिक संगठन /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अन्तर्गत किसी पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष / सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में दो वर्षों का पेशेवर अनुभव ।</p> <p>वांछनीय : वांछनीय योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में न्यूनतम छः माह का डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम ।</p> <p>टीप-1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी / दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के विवेक पर</p>	<p>आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं</p>	<p>दो वर्ष टीप : परीवीक्षा पूर्ण करने के लिए दो सप्ताह का अनिवार्य प्रेरक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना आवश्यक है ।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित जिसके असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र/स्वायत्त या सांविधिक संगठन /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के निम्नलिखित अधिकारी :-</p> <p>(क) (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा</p> <p>(2) वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 5 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छः वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग / विभाग में समकक्ष;</p> <p>तथा</p> <p>(ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले:</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः 03 वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p>

<p>शिथिलनीय है।</p> <p>टीप-2 यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी / दिल्ली अघीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अभिमत से अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी / दिल्ली अघीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के विवेक पर शिथिलनीय है।</p>				<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।)</p>
--	--	--	--	---

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
12	13
<p>विभागीय स्थाईकरण समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> वित्तीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य संबंधित विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य विशेष/अपर सचिव (सा.प्र.वि.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. एलिस वाज़, सचिव (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा)

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 6th July, 2022

F. No. 2/9/2015/RR/Trg. Admn./767.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification Number S.O. 3532 dated the 24th September, 1968 and in supersession of the recruitment rules for the post of Librarian notified vide notification

F. No. 2(1)/68-Services(C)(ii) dated 4th May 1968 and subsequent amendment notified vide notification No. F.2 (9)/80-S.II Dated 2nd May 1980, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Librarian in the Training Wing under the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

- 1. Short title and commencement:-** (i) These rules may be called the Librarian Recruitment Rules, 2022 Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix:-** The number of posts, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.
- 3. Method of Recruitment, Age limit and other qualification:-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualifications:-** No person,
 - (a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living, or
 - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person; shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.
- 5. Power to relax:-** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of person.
- 6. Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non selection post	Age limits for Direct Recruits
1	2	3	4	5	6
Librarian	12* (2022) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group 'B'	Level-6 (Rs. 35400/- to 112400/-) in the pay matrix	Not Applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for government candidate upto 5 years in accordance with instructions or order issued by Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as per advertised by the Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB).

Educational and other qualification for direct recruits	Whether Age & Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment/ promotion/ deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made.
7	8	9	10	11
<p>Essential: Essential Qualification: Bachelor Degree in Library Science or Library and information Science from a recognized University/ Institute</p> <p>Experience: Two years' professional experience as a Librarian/ Assistant Librarian in a Library under Central/ State Government/ Autonomous or Statutory organization/PSU/ University or Recognized Research or Educational Institution</p> <p>Desirable: Desirable Qualification: Minimum Six months Diploma/ Certificate course in Computer application from a recognized University or Institute</p> <p>Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority/ DSSSB, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority/ DSSSB, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Competent Authority/ DSSSB is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill</p>	<p>Age : NA</p> <p>Educational Qualification: NA</p>	<p>Two years</p> <p>Note: Successful Completion of mandatory induction training of two weeks is a must for probation clearance.</p>	<p>Deputation including Short Term Contract Failing which by Direct Recruitment</p>	<p>Deputation (ISTC): Officers of the Central Government / State Government/ Union Territories / Autonomous or Statutory Organization/ PSUs/ Universities or Recognized Research Institution :- (A) (i) Holding analogous posts on regular basis in parent cadre / department ; OR (ii) With 06 years service in grade rendered after appointment thereto on regular basis, in level-5 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre / department; AND (B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7: (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation / department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed 03 years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC)</p>

up the vacancies reserved for them.				shall be not exceeding 56 years as on closing date of receipt of applications.)
-------------------------------------	--	--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13
Departmental confirmation Committee: 1. Financial Commissioner, GNCT of Delhi - Chairman. 2. Administrative Secretary of the concerned Department, GNCT of Delhi - Member. 3. Head of Department Concerned, GNCT of Delhi – Member. 4. Special/Additional Secretary (GAD), GNCT of Delhi - Member	Consultation with commission is not necessary

By Order and in the Name of Lt.Governor of
National Capital Territory of Delhi,

R. ALICE VAZ, Secy. (TTE)